कर्तव्य पथ की तरह होगी राजधानी में आर्मी परेड

चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ समत्व भवन में सीएम ने की बैठक

15 जनवरी 2027 को होगी विशेष परेड

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 मार्च. प्रदेशवासियों को भारतीय सेना की समृद्ध सैन्य विरासत से परिचित कराने और प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आगामी सेना दिवस 15 जनवरी 2027 को भोपाल में विशेष परेड आयोजित की जाएगी.

भोपाल में सेना दिवस पर होने वाले इन कार्यक्रमों में शामिल होने का अनुभव, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले कार्यक्रमों के समान होगा.

यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री समत्व भवन में आयोजित बैठक के दौरान दी गई. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हर मौके

और मोर्चे पर अदम्य साहस, शौर्य और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है. देश के हर व्यक्ति और परिवार के लिए भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की परंपरा से जुड़ना गर्व का विषय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाले इस आयोजन के लिए राज्य सरकार, भारतीय सेना को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी.

मप्र के स्थापना दिवस से होगी कार्यक्रमों की शुरुआत

बैठक में बताया गया कि सेना दिवस 15 जनवरी 2027 पर होने वाले इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1 नवंबर मप्र स्थापना दिवस से होगी. स्थापना दिवस पर मेरी माटी अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों से मिट्टी लाकर भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में संकल्प वृक्ष लगाया जाएगा. सेना दिवस 15 जनवरी की परेड के लिए 9,11 और 13 जनवरी को अभ्यास होगा. इसी प्रकार 15 जनवरी की शौर्य संध्या के लिए 11 और 13 जनवरी को अभ्यास का क्रम रखा गया है. सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन 7 से 12 जनवरी तक होगा. भोपाल के बड़े तालाब में 11 और 12 जनवरी को सैन्य अभ्यास होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई सैन्य अधिकारियों की बैठक में सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि आगामी सेना दिवस 15 जनवरी को भोपाल में भव्य सेना दिवस परेड आयोजित की जाएगी.

कॉमर्शियल सिलेंडरों की वितरण के लिये सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी

भोपाल . खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की वितरण व्यवस्था के संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये गये हैं.

जारी निर्देश में कॉमर्शियल एलपीजी की वर्तमान खपत एवं आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए कॉमर्शियल एलपीजी का आवंटन प्राथमिकता क्रम अनुसार किया जायेगा. इसमें शैक्षणिक संस्था/चिकित्सा संस्थान में आवश्यकता का 100 प्रतिशत में आवंटन 30 प्रतिशत, आवश्यक सेवाएँ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस, सुरक्षा बल, पुलिस, जेल, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास एवं अन्य विभाग के संस्थान, जहाँ वृद्ध महिला, बच्चे निवासरत हैं तथा एयरपोर्ट, रेलवे, दीनदयाल रसोई में 35 प्रतिशत, होटल 9 प्रतिशत, रेस्टॉरेंट, केटर्स 9 प्रतिशत, ढाबा, स्ट्रीट फूड वेण्डर 7 %, उद्योग (फार्मास्यूटिकल/ फूड प्रोसेसिंग/ पॉल्ट्री फूड, सीड प्रोसेसिंग) में 5 प्रतिशत और अन्य उद्योग एवं अन्य (प्रकरणवार निर्णय) में 5% का आवंटन होगा.

एक नजर में

अमरकंटक विश्वविद्यालय में 11 छात्र निष्कासित

शहडोल. अनूपपुर जिले स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक में छात्रावास में हुए विवाद के मामले में कुलसचिव ने 11 छात्रों एवं शोधार्थियों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार 19 मार्च को ट्रांजिट भवन छात्रावास में इन छात्रों द्वारा घेराव और तालाबंदी की गई थी, जिसे अनुशासन समिति ने गंभीर अनुशासनहीनता माना है. इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्रों को विश्वविद्यालय से बाहर करने का निर्णय लिया गया. प्रभावित छात्रों में कुमार मंगलम और जयगणेश दीक्षित सहित कुल 11 छात्र शामिल हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को भी प्रकरण दर्ज करने के लिए पत्र भेजा है.

अब शासकीय सेवकों को मिलेगा 58 फीसदी डीए

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 मार्च. शासकीय सेवकों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. उन्हें अब 3 फीसदी अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मिलेगा, इसी तरह पेंशनरों को भी 3 फीसदी मंहगाई राहत का फायदा मिलेगा. ये भत्ता एक जुलाई 2025 से देय होगा. शासकीय सेवकों का डीए बढ़कर अब 58त्न हो जाएगा. कैबिनेट ने गुरुवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.

निर्णय के तहत एक जुलाई, 2025 से 31 मार्च तक की एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में किया जायेगा. प्रथम किश्त का भुगतान मई माह में, द्वितीय किश्त का भुगतान माह जून में, तृतीय किश्त का भुगतान माह जुलाई में, चतुर्थ किश्त का भुगतान माह अगस्त में, पांचवी किश्त का भुगतान माह सितम्बर में और छठवी किश्त का भुगतान माह अक्टूबर में किया जायेगा. वहीं बढ़े हुए डीए का नगद लाभ अप्रैल का वेतन जो कि मई में देय होगा, मिलना शुरू हो जाएगा. 3 फीसदी डीए बढ़ने से शासकीय सेवकों को प्रतिमाह 465 रुपए से 4230 रुपए का फायदा होगा, वहीं उन्हें 4185 रुपए से लेकर 38070 रुपए एरियर भी किश्तों में मिलेगा. एक जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि में सेवानिवृत और मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें अथवा नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा. छठवें वेतनमान के कार्मिकों एवं निगम, मंडल, उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ता में बढ़ोतरी के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया.

प्रतिवर्ष 4 हजार ओबीसी युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी

कैबिनेट ने प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों,पुलिस,होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है. स्वीकृति अनुसार प्रतिवर्ष अन्य पिछड़े वर्ग के 4000 युवाओं को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. प्रशिक्षण अवधि में पात्र पुरूष अभ्यर्थी को एक हजार रूपये प्रति माह तथा महिला अभ्यर्थी को 1100 रूपये प्रति माह की दर से शिष्यवृत्ति भी उपलब्ध कराई जायेगी. स्वीकृति अनुसार प्रदेश के 10 स्थानों पर स्थापित 40 केन्द्रों पर महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों को अलग- अलग प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.

इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

6,940 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों की दी मंजूरी, स्वीकृति अनुसार वाणिज्य कर विभाग के तहत ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास के लिए 2,933 करोड़ सहित अन्य 9 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता रहेगी. इसी तरह लोक निर्माण विभाग के तहत मंत्रालय भवन के निर्माण, विधानसभा एवं विधायक विश्राम गृह, नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण के लिए 691 करोड़ रूपये, शासकीय आवास गृह, स्टेट गेस्ट हाउस और कार्यालय निर्माण के लिए 731 करोड़ रूपये, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सम्बन्धित कार्य के लिए 565 करोड़ रूपये और राजधानी परियोजना का स्थापना व्यय के लिए 379 करोड़ रूपये सहित संबंधित 17 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता की स्वीकृति.

अतिथि शिक्षकों को 18 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा

कैबिनेट ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं में अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक वर्ग-1 के समरूप प्रतिमाह 18 हजार रूपये मानदेय दिया जाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में पूरक पोषण आहार में की गयी वृद्धि के अनुरूप, प्रदेश के समस्त संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष आयुवर्ग के अति कम वजन के बच्चों के लिए पूर्व निर्धारित प्रतिदिन प्रति हितग्राही राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया है.

मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

26 मार्च से बदलेगा मौसम

20 जिलों में बारिश के आसार

भोपाल, 23 मार्च. मध्यप्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है. मौसम विभाग, भोपाल ने 26 मार्च से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. खासतौर पर जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 20 से अधिक जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है.

उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च से सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव

मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा. इस सिस्टम के कारण बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है. हालांकि, इससे पहले प्रदेश में अगले तीन दिनों तक गर्मी का असर तेज रहेगा. दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे लोगों को दोपहर के समय अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उससे लगे पाकिस्तान क्षेत्र में एक चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश पर नहीं पड़ रहा है.

प्रमुख शहरों में उज्जैन में 34 डिग्री, इंदौर में 33.3 डिग्री, भोपाल में 33 डिग्री, ग्वालियर में 31.8 डिग्री और जबलपुर में 31.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. वहीं नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां पारा 37.7 डिग्री तक पहुंच गया. रायसेन, रतलाम और खरगोन-नरसिंहपुर में भी तापमान 36 से 37 डिग्री के बीच दर्ज हुआ. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गर्मी के इस दौर में सतर्क रहें और आने वाले दिनों में मौसम में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें.

पेज एक का शेष

कमर्शियल सिलेंडर पर कोटा सिस्टम लागू

किसे कितना मिलेगा सिलेंडर

प्राथमिकता क्रम - संस्थाओं के नाम - आवंटन प्रतिशत

1- शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान - 30

2- आवश्यक सेवाएं, केंद्रीय सशस्त्र बल, सुरक्षा बल, पुलिस, जेल, सामाजिक न्याय व महिला बाल विकास विभाग व अन्य विभाग के संस्थान जहां वृद्ध, बच्चे, महिला निवासरत हैं. एयरपोर्ट, रेलवे, दीनदयाल रसोई - 35

3 -ए . होटल - 9

बी. रेस्टोरेंट, केटर्स - 9

सी - ढाबा, स्ट्रीफूड वेंडर - 7

4-उद्योग, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, पॉल्ट्री फूड, सीड प्रोसेसिंग - 5

5 - ए . अन्य उद्योग प्रकरण वार निर्णय - 5

बी. अन्य प्रकरण वार निर्णय

5 से लेकर 425 केजी के पैक्ड में मिलेगा सिलेंडर

राज्य सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई है उसके मुताबिक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति 5 केजी, 19 केजी, 47.5 केजी और 425 केजी के पैक्ड सिलेंडरों में की जाएगी.

आपूर्ति की मात्रा तीन माह के औसत खपत से तय होगी

विभाग ने जमाखोरी रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, उसके मुताबिक जमाखोरी रोकने के साथ ही सभी को समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने वाली दैनिक मात्रा संबंधित ओएमसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में दर्ज पिछले तीन माह के दौरान औसत खपत के आधार पर निर्धारित की जाएगी. यह भी व्यवस्था तय की गई है कि ओएमसी अपने- अपने सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग अनुरोध स्वीकार करेंगे और रिफिल अनुरोधों का बाकायदा तिथिवार रिकॉर्ड भी रखेंगे. यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक प्राथमिकता के तहत लंबित आवश्यकताओं को उपलब्धता के अधीन यथासंभव अगले दिन पूरा किया जाएगा.

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण व्यक्ति/संस्था/निकाय को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है ग्राम- रायखोर वार्ड नं. 07, तहसील- रामपुर नैकिन, जिला-सीधी(म.प्र.) में स्थित भूमि सर्वे no.1300/5/2 कुल एरिया 0.192 हेक्टएपर श्री आशीष शर्मा पिता श्री राधेश्याम शर्मा का हिस्सा 34/1920(3600 Sqft.) सह-भूस्वामी दर्ज था। उक्त संपत्ति पर स्वत्व श्री विजय द्विवेदी पिता श्री रोहिणी प्रसाद द्विवेदी से क्रय कर प्राप्त किया गया था, जिसका पंजीयन उप-पंजीयक ऑफिस सीधी में निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन क्रमांक **MP418412023A12668664, dated-15/12/2023** था। इसी अधिकार के तहत उक्त भू-स्वामी ने स्वत्व के खसरा नंबर 1034/5/2 का भाग 1800(30x60) Sqft., का विक्रय श्रीमती मधु मिश्रा w/o अजय मिश्रा के पक्ष में कर दिया है। उक्त विलेख उप-पंजीयक कार्यालय सीधी में निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन क्रमांक **MP31IGR18692026A100300251**, दिनांक-**15/03/2026** है। वर्णित संपत्ति किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन के पक्ष में अंतरित/दान/वसीयत/लीज/ हस्तांतरित नहीं की गयी है। इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है की उक्त विलेख के संबंध मे जिस किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/आमजन को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 5 दिवस के अंदर मेरे पक्षकार के कार्यालय PNBHL शाखा-सीधी (मो.6261335380) या मेरे कार्यालय चेम्बर NO.103A, जिला-न्यायालय, सीधी-जिला-सीधी (म.प्र.) मो.9179636101 में कार्यालयीन समय 10 बजे से 5 बजे के मध्य लिखित/मौखिक व दूरभाष से दस्तावेजों सहित अपना पक्ष व आपत्ति प्रस्तुत करे। तय समय पश्चात किसी भी व्यक्ति/संस्था निकाय द्वारा की गई आपत्ति मान्य नही होगी और मेरा पक्षकार PNBHL उक्त विक्रय विलेख को पाक साफ मानते हुये बंधक कर ऋण स्वीकृत करेगा।

स्थान-SIDHI दिनांक -24/03/2026

भवदीय
सुजीत सिंह एडवोकेट
चेम्बर न.103A जिला न्यायालय सीधी
जिला सीधी (म.प्र.)
मो.9179636101

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त खुटार तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

प्रकरण क्र. 0543/अ-6/2025-26

आम-इस्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामकृपाल शाह स्व. तिलक शाह वगैरह निवासी ग्राम खुटार, तहसील व जिला सिंगरौली द्वारा ग्राम खुटार की आराजी खसरा नम्बर 1925/1 लगायत किता 17 योग रकवा 0.8500हे. के अंश रकबा 0.1600हे. जो कि वर्तमान अभिलेख में तिलक पिता गोले साहू वगैरह के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के हिस्सा 4/25, एवं 1/5 भाग का फौती नोटराइज्ड वसीयत नामांतरण के आधार पर दर्ज भूमिस्वामी के बजाय आवेदकगण के नाम वसीयत नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है एवं प्रकरण में सुनवाई दिनांक 27/04/2026 को नियत हैं। फौती वसीयत नामांतरण के आधार पर विचरित प्रकरण में यदि किसी व्यक्ति/संस्था इत्यादी को कोई आपत्ति हो तो मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक-27/04/2026 को (या इसके पूर्व) स्वत: या अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि उपरांत प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही की जावेगी।

मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से आज दिनांक:- 18/03/2026 को जारी।

नायब तहसीलदार
वृत्त खुटार
तहसील सिंगरौली

In The Court of I Civil Judge Class-I,
Presiding Officer : श्री प्रवीण कुमार सोंधिया
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

सक्सेशन प्रकरण क्रमांक
(MJC SUC/0000026/2025)

शकुंतला शर्मा ...... आवेदक

Vs

प्रवीण उपाध्याय .....अनावेदक

Process Id-84/2026

पेशी दिनांक:-13.04.2026

प्रेषिती-

1. आम व खास अन्य जो हित रखता हो, पता-हर आम एवं खास जो मृतक से संबंध रखता हो. 2. आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शकुंतला शर्मा पता ने ..मृतक श्यामसुन्दर शर्मा पिता स्व.श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा निवासी नेहा आटा चक्की के पास जवाहर नगर खूंखी मेन चौराहा सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना। कर्णिका 5 वर्णित राशि मय ब्याज. राशि / संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 13 अप्रैल 2026 को नियत है. यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक / संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 13 अप्रैल 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें. सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा. यह आज तारीख 28 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है.

न्यायालय की मुद्रा

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
सतना, जिला सतना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें-1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि तो न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा.

सरकारी भूमि पर कब्जे की कोशिश पंचायत के लगाए पेड़ काटे

सहुआर गांव में ग्रामीणों का आक्रोश, कार्रवाई की मांग

नवभारत न्यूज

देवसर 23 मार्च। जनपद पंचायत देवसर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सहुआर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार म.प्र. शासन की भूमि, खसरा क्रमांक 1105 पर कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान पंचायत द्वारा पूर्व में लगाए गए पेड़ों को भी काट दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि को पंचायत ने सार्वजनिक उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सुरक्षित रखा था। इसी के तहत यहां वृक्षारोपण किया गया था, ताकि क्षेत्र में हरियाली बढ़े और ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

लेकिन हाल ही में कुछ लोगों ने इस जमीन पर कब्जा जमाने की नीयत से पेड़ों की कटाई शुरू कर दी।

ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्य सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और इसमें प्रभावशाली लोगों की भूमिका हो सकती है। पेड़ों की कटाई से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, बल्कि पर्यावरण संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे कानून और नियमों की खुली अवहेलना बताया है।

घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

मामले की सूचना संबंधित राजस्व और पंचायत अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत की जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दुष्कर्म के बाद हत्या का खुलासा, 5 गिरफ्तार

भिण्ड. मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के अटेर अनुभाग के सुरपुरा थाना क्षेत्र के सोई गांव में बोरी में मिली नवविवाहिता की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार 24 फरवरी को अटेर क्षेत्र के बढ़पुरा निवासी 20 वर्षीय नवविवाहिता घर से सामान लेने निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई. 26 फरवरी को सोई गांव के पास बंवा पुलिया के नजदीक उसका शव बोरी में मिला था. मामले की जांच के दौरान पुलिस को शव के साथ मिली बोरी में दूब घास और आम, जामुन, अमरूद व आंवला के पत्ते मिले, जिसके आधार पर जांच की दिशा बदली गई. पुलिस ने ऐसे स्थानों की तलाश की, जहां ये सभी पेड़ एक साथ हों और इसी कड़ी में एक खेत तक पहुंच बनाई गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी सूरज शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी ने बताया कि महिला को जबरन खेत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को बोरी में भरकर सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया.

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक /मण्डी/प्रांगण/ साफ-सफाई / 2025-26/2215 रीवा, दिनांक 23/3/26

निविदा - सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति (करहिया) रीवा के अनाज मण्डी प्रांगण की सम्पूर्ण साफ-सफाई जिसमें कार्यालय भवन, प्रांगण / परिसर की सम्पूर्ण साफ-सफाई, पानी निकासी, कचड़ा सफाई, भूमिगत नालियों की सफाई, शौचालय, मूत्रालय की सफाई आदि कार्य हेतु तीन लिफाफा पद्धति से दिनांक 15/04/2026 तक निविदायें पंजीयकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा कृषि उपज मण्डी कार्यालय में अंमत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 16/04/2026 को उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 03:00 बजे निविदा समिति द्वारा मण्डी कार्यालय में खोली जावेगी। कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में अवकाश दिवस को छोड़कर दिनांक 13/04/2026 तक निर्धारित शुल्क जमा कर मण्डी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित प्राक्कलन / लागत (रूपये में)		धरोहर राशि रूपये में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये में	ठेके की अवधि
		मासिक	वार्षिक			
1	कृषि उपज मण्डी समिति (करहिया) रीवा मण्डी प्रांगण की सम्पूर्ण साफ-सफाई	42185.00	485452	25000.00	1000.00	02 वर्ष

शर्तेः- 1. इच्छुक व्यक्ति / निविदा के साथ सुरक्षा निधि (प्रतिभूति) राशि एफ0डी0आर0 के रूप में सचिव कृषि उपज मण्डी समिति रीवा के नाम जमा किया जाना अनिवार्य होगा। 2. निविदा की राशि अनुमानित प्राक्कलन से अधिक मान्य नहीं होगी। 3. निविदायें तीन लिफाफा पद्धति से दी जानी होगी। जिसमें से एक लिफाफे में ठेके सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज (तकनीकी बिड) तथा धरोरह राशि का एफ0डी0आर0 एवं दूसरे लिफाफे में निविदा की दरें (वित्तीय बिड) रखी जावेगी। उक्त दोनो लिफाफे एक तीसरे लिफाफे में रखे जावेगें। सर्व प्रथम तकनीकी लिफाफा खोला जावेगा। निविदा के संबंध में समस्त दस्तावेज चेक करने के उपरांत ही वितीय दरें (बिड) खोली जावेगी। यदि निविदा के आवश्यक दस्तावेज / अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उसकी दरें नहीं खोली जावेगी. 4. विस्तृत शर्ते कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में मण्डी कार्यालय में देखी व प्राप्त की जा सकती है।

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति ,रीवा, जिला रीवा

सहायक संचालक / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति रीवा,जिला रीवा (म0प्र0)

कार्यालय नगर परिषद् मऊगंज जिला मऊगंज (म.प्र.)

cmomahuganj@mpurban.gov.in

क्रमांक/3505/e-tendering/NP/2026 मऊगंज दिनांक- 16.03.2026

ई- निविदा सूचना - प्रथम आमंत्रण

एतद द्वारा समस्त पंजीकृत फर्म/ अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर परिषद मऊगंज में वित वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार कॉलम में वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दरों की आवश्यकता है। जिस हेतु केंद्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/आपूर्ति कर्ताओं से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्र. जारी दिनांक	आपूर्ति मद का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_491502_1 दिनांक- 17.03.2025	विद्युत सामग्री की आपूर्ति	50.00 लाख	1.5000/- 2.37,500/-	17.04.2025
2	2026_UAD_491503_1 दिनांक- 17.03.2025	हैन्डपम्प सामग्री की आपूर्ति	50.00 लाख	1.5000/- 2.37,500/-	17.04.2025
3	2026_UAD_491504_1 दिनांक- 17.03.2025	जलप्रदाय सामग्री की आपूर्ति	50.00 लाख	1.5000/- 2.37,500/-	17.04.2025
4	2026_UAD_491505_1 दिनांक- 17.03.2025	स्वास्थ्य सफाई सामग्री की आपूर्ति	50.00 लाख	1.5000/- 2.37,500/-	17.04.2025
5	2026_UAD_491506_1 दिनांक- 17.03.2025	कार्यालय स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति	25.00 लाख	1.5000/- 2.18,750/-	17.04.2025
6	2026_UAD_491507_1 दिनांक- 17.03.2026	टेन्ट सामग्री किराये पर लगाने हेतु	20.00 लाख	1.2000/- 2.15000/-	17.04.2026
7	2026_UAD_491508_1 दिनांक- 17.03.2026	फ्लेक्स बोर्ड & बैनर प्रिंटिंग एवं आपूर्ति	18.00 लाख	1.2000/- 2.13500/-	17.04.2026
8	2026_UAD_491509_1 दिनांक- 17.03.2026	साउन्ड सिस्टम सामग्री किराये पर लगाने हेतु	07.00 लाख	1.2000/- 2.7000/-	01.04.2026

नोट :- निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगर परिषद मऊगंज, जिला-मऊगंज (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवासंभाग सतना

क्रमांक /2227 /निविदा/ग्रायासेवा/2025-26 सतना, दिनांक 17-03-2026

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 13/2025-26

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना के निम्नांकित निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत ई-पजीयन व्यवस्था अंतर्गत ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल http://mpetenders.gov.in पर देखी जा सकती है. विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	संभाग	सिस्टम टेंडर नंबर	कार्य का नाम	विकास खण्ड	निविदा लागत (PAC) राशि लाख में)	अमानत राशि (राशि रूपये में)	निविदा प्रपत्र का (राशि रूपये में)	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	आमंत्रण क्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सतना	2026_RES_487712	शिव मंदिर वार्ड क्रमांक 04, कौशल उन्नयन भवन निर्माण, नगर निगम वार्ड क्रमांक 04 सतना जनपद पंचायत सोहावल जिला सतना म.प्र.	सोहावल	14.75	29500	2000	04, माह	प्रथम
2	सतना	2026_RES_491310	अतिरिक्त कक्ष निर्माण व शौचालय उचवा टोला वार्ड नम्बर 35 नगर निगम सतना जनपद पंचायत सोहावल जिला सतना म.प्र.	सोहावल	9.82	19640	2000	03, माह	प्रथम
3	सतना	2026_RES_491311	अतिरिक्त कक्ष निर्माण व टायलेट प्राथमिक शाला लोहसरिया वार्ड नम्बर 05 नगर पंचायत चित्रकूट जनपद पंचायत मझगवां जिला सतना म.प्र.	मझगवाँ	9.82	19640	2000	03, माह	प्रथम
4	सतना	2026_RES_491312	शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य सुरंगी नगरपंचायत चित्रकूट जनपद पंचायत मझगवां जिला सतना म.प्र.	मझगवॉ	16.90	33800	2000	04, माह	प्रथम
5	सतना	2026_RES_491313	शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन निर्माण इंदिरा नगर, नगर पंचायत चित्रकूट जनपद पंचायत मझगवॉ जिला सतना म.प्र.	मझगवाँ	16.90	33800	2000	04, माह	प्रथम
6	सतना	2026_RES_491314	शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण नई बस्ती वार्ड नम्बर 14 नगर निगम सतना जनपद पंचायत सोहावल जिला सतना म.प्र.	सोहावल	16.90	33800	2000	04, माह	प्रथम
7	सतना	2026_RES_491316	शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन निर्माण पिली कोठी नगर पंचायत चित्रकूट जनपद पंचायत मझगवॉ जिला सतना म.प्र.	मझगवाँ	16.90	33800	2000	04, माह	प्रथम

निविदा संबंधी तिथियाँ (Key Dates):-

1. समाचार में प्रकाशन हेतु भेजने का दिनांक 17.03.2026
2. निविदा रिलीज करने का दिनांक 26.03.2026
3. निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रारंभ दिनाक 26.03.2026
4. निविदा प्रपत्र क्रय करने का अंतिम दिनांक 03.04.2026
5. आनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक 03.04.2026
6. ई. एम डी (मेन्डेटरी सबमीशन लिफाफा (ए) खुलने का दिनाक 08.04.2026

1. यदि किसी निविदाकार द्वारा एस. ओ. आर. से कम दर पर निविदा प्रस्तुत की जाती है एवं स्वीकृत होती है तो एस.ओ. आर. से 10 प्रतिशत से कम दर प्रस्तुत करने पर निविदत राशि का 10 प्रतिशत से अधिक दर की राशि को (अतिरिक्त परफारमेन्स) अमानत राशि के रूप में फिक्स डिपाजिट प्रस्तुत करने पर ही अनुबंध कराया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
सम्भाग सतना (म.प्र.)

G-27786/25